उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन–14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0. 2250–अर्ट0–09(अ)/पाकालि/2001–21–एनजी/2001 दिनांक: 2 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0. 2057–अर्ट0–09(अ)/पाकालि/2001–21–एनजी/2001 दिनांक 20 जून, 2001 के अनुलग्नक–2 द्वारा लिपिकीय एवं परिचालकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मार्गदर्शक सिद्धान्त संबंधी निर्गत आदेशों के तारतम्य में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करते समय निम्नलिखित का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:–

1. प्रत्येक विद्युत वितरण खण्ड में कार्यरत बिल क्लर्क (कार्यालय सहायक श्रेणी–3) जो एक ही सीट पर तीन वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर चुके हो उनका स्थानान्तरण किसी अन्य सीट पर किया जाये।
2. एक ही क्षेत्र के विभिन्न खण्डों में कार्यरत बिल क्लर्क (कार्यालय सहायक श्रेणी–3) जो बिल क्लर्क के पद पर कार्य करते हुए 15 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर चुके है, उनमें से अधिक से अधिक 15% (पन्द्रह प्रतिशत) की उनकी वरिष्ठता (टेन्यौर सी नियॉरिटी) के आधार पर अन्य मंडलों/खण्डों में स्थानान्तरित किया जाए

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश अविलम्ब निर्गत कर यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार <u>निर्गत आदेशों का क्रियान्वयन एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण हो जाएँ।</u>

अनुलग्नक–2 के शेष मार्गदर्शक सिद्धान्त यथावत लागू रहेगें।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

<u>सं0. 2250 (1) (अर्ट0–09(अ)/पाकालि/2001 तद्दिनांक.</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, 4–विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त आंचलिक मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकों के निजी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रबन्धन–1)/महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रबन्धन–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (आर0पी0एम0ओ0), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, 15 वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर इकाई), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद)
उप महाप्रबन्धक

संख्या: 2057 -अरT0-09।अ।/पाकालि-2001/21-एनजी/2001 दिनांक: 20 जून, 2001.

कार्यालय-ज्ञाप

अवर अभियंताओं तथा लिपिकीय व परिचालकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों के अवक्रमण में स्थानान्तरण के मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुलग्नक-1 व 2। संलग्न एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं ।

2. उपरोक्त स्थानान्तरण/मार्गदर्शक के सिद्धान्त तुरन्त प्रभावी होंगे तथा अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे । तथापि शासन की नीति की अनुरूपता में वर्ष 2001-2002 में निम्न दशाओं को छोड़कर, सामान्यतः कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा :-

1. प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।
2. प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।
3. किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर या दूसरे कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो ।
4. यदि पति-पत्नी दोनों कारपोरेशन अथवा सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।
5. कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह "ग" के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकेगा ।
6. स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2057।1।-अरT0-09।अ।/पाकालि-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियंता।जल-विद्युत।, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त आंचलिक मुख्य महाप्रबंधक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 ।
3. समस्त महाप्रबंधक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ ।
5. समस्त निदेशकों के निजी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ ।
6. मुख्य महाप्रबंधक।कार्मिक एवं प्रबंधन-01।/महाप्रबंधक।कार्मिक एवं प्रबंधन-02।, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
7. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
8. मुख्य महाप्रबंधक।आर0पी0एम0ओ0।, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, 15वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
9. महाप्रबंधक।कम्प्यूटर इकाई।, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।

संलग्नक: यथोपरि ।

आज्ञा से,

।आर0 सी0 गुप्ता।
महाप्रबंधक-तृतीय

रपोरेशन आदेश सं0. 2057-अरा0-09 (अ./पा. [illegible]/2001/21-एनजी/2001 दिनांक 20 जून, 2001 का अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

अवर अभियंता (विद्युत यांत्रिक एवं जानपद) के स्थानान्तरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त

(1) सामान्यतयः सभी अवर अभियंताओं (ई0 एण्ड एम0 एवं जानपद) को निरन्तर एक पद/सेक्शन में लगातार तीन वर्ष, एक खण्ड में एक/विभिन्न पदों पर लगातार सात वर्ष एवं मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर लगातार दस वर्ष तथा एक जोन में एक/विभिन्न पदों पर लगातार 15 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रखा जायेगा । इस अवधि की गणना करते समय वह अवधि सम्मिलित की जायेगी जो पुनः तैनाती पर व्यतीत की गयी हो, यदि पुनः तैनाती 3 वर्ष से कम अन्तराल पर, हुई हो, पर पहले स्थानान्तरण उन अवर अभियंताओं का होगा जो लगातार कार्यरत थे । सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अवर अभियंता को पुनः उसी स्थान/मुख्यालय में ~~xxxxxxxx~~ जहां पर पहले कार्य कर चुका है, तीन वर्ष की अवधि से पहले तैनात नहीं किया जायेगा ।

(2) स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिये कार्यकाल की गणना हेतु प्रत्येक वर्ष में एक जुलाई की तिथि ही मान्य होगी ।

(3) वितरण संगठन के अन्तर्गत जो अवर अभियंता जिस सेक्शन में 3 वर्ष तक (एक या अधिक बार में) रह चुके हैं अथवा उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर हुआ है उन्हें स्थानान्तरण के उपरान्त उसी सेक्शन में पुनः तैनात नहीं किया जायेगा ।

(4) जो अवर अभियंता एक या विभिन्न पदों पर एक वितरण जोन में 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें स्थानान्तरण के बाद पुनः अवर अभियंता के पद पर उसी वितरण जोन में तीन वर्ष के अन्तराल के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकता है । सिविलिक संगठन/भण्डार संगठन/कम्प्यूटर बिलिंग/लाइन लासेज सेल एवं सतर्कता इकाई में व्यतीत किया गया समय वितरण क्षेत्र का माना जायेगा ।

(5) यदि वितरण संगठन में कार्यरत अवर अभियंता पारेषण संगठन में अथवा पारेषण संगठन से वितरण में स्थानान्तरित किया जाता है, तो उसे पुनः उसी जनपद में जिसमें वह स्थानान्तरण से पहले नियुक्त था, तैनात नहीं किया जायेगा । यह प्रतिबन्ध पाली कार्य एवं टी0एण्ड सी एवं माइक्रोवेव पर लागू नहीं होगा ।

(6) अवर अभियंता को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा ।

(7) प्रथम नियुक्ति पर अवर अभियंताओं को कम से कम पांच वर्ष के लिये टी0एण्ड सी0 माइक्रोवेव, 220/400/800 के0वी0 सब-स्टेशन पर तैनात किया जायेगा, जिसमें कम से कम एक वर्ष उन्हें पाली (शिफ्ट) सेवा करनी अनिवार्य होगी । स्थानान्तरण उक्त इकाइयों की वरीयता क्रम में आवश्यकतानुसार किया जायेगा । स्थानान्तरण के पश्चात यदि कोई अवर अभियंता अपनी स्वेच्छा से उक्त इकाइयों पर रूकना चाहता है तो आवश्यकतानुसार उसे पुनः एक वर्ष तक पाली कार्य करना आवश्यक होगा ।

(8) उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी एक क्षेत्र/संगठन से एक वर्ष में उसके अधीन कार्यरत अवर अभियंता में से लगभग दस प्रतिशत से अधिक अवर अभियंता उक्त क्षेत्र/संगठन से स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे । विभिन्न मण्डलों से स्थानान्तरण वरीयता के आधार पर किये जायेंगे । स्थानान्तरण के लिये एक ही

सेक्शन में लम्बे समय से कार्यरत अवर अभियंताओं को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा ।

9) जिन अवर अभियंताओं की वर्तमान तैनाती इस स्थानान्तरण नीति में निर्दिष्ट सिद्धान्तों/प्रतिबन्धों के प्रतिकूल है, उन्हें अपने प्रवास/कार्यकाल की वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरित किया जायेगा ।

10) किसी क्षेत्र/संगठन में सरप्लस अवर अभियंताओं को स्थानान्तरित किया जायेगा और इसके लिये कोई न्यूनतम सीमावधि लागू नहीं होगी ।

11) यदि पति पत्नी दोनों ही कारपोरेशन/सरकारी सेवा में हों तो यह प्रयास किया जायेगा कि उन्हें यथासम्भव एक ही/निकटस्थ स्थान पर तैनात किया जायेगा ।

12) इस स्थानान्तरण सिद्धान्त में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों से वे सभी अवर अभियंता मुक्त माने जायेंगे जिन्हें सेवानिवृत्त होने में दो वर्षों से कम का समय शेष रह गया हो अथवा जिन्होंने अपने वर्तमान नियुक्ति पर एक वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है ।

13) संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अवर अभियंताओं की तैनाती संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील पदों पर नहीं कीजायेगी ।

14) दो या अधिक लघु दण्ड अथवा निन्दा प्रविष्टि या एक वृहद् दण्ड पाने वाले अवर अभियंताओं को वितरण स्कन्ध में संवेदनशील पदों पर कम से कम तीन वर्षों तक तैनात नहीं किया जायेगा ।

15) किसी अवर अभियंता के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने पर या संबंधित दूसरे अवर अभियंता के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकता है बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो ।

16) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती प्राधिकृत पावर कारपोरेशन/सरकारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनके विकल्प के अनुसार ऐसे स्थानों पर करने का प्रयास किया जायेगा, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो ।

17) निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर संबंधित अवर अभियंताओं को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

18) सभी स्तरों पर साधारणतया स्थानान्तरण आदेश यथासम्भव 15 जून तक निर्गत हो जाने चाहिये ।

19) सभी अवर अभियंता स्थानान्तरण सिद्धान्तों के अनुसार स्थानान्तरित किये जायेंगे तथापि प्रशासनिक कारणों या कारपोरेशन के किसी संगठन की आवश्यकता के अनुरूप अथवा किसी पद पर उपयुक्तता को देखते हुए विशेष

...3...

परिस्थितियों में कारपोरेशन के कार्यहित में स्थानान्तरण कभी भी सिद्धान्तों से हटकर निर्गत किये जा सकते हैं जिनपर उपरोक्त वर्णित समय सीमा लागू नहीं होगी ।

§20§ संबंधित उप महाप्रबंधक/नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अवर अभियंता को कार्यमुक्त कराने एवं कार्यभार स्थानान्तरित कराने से संबंधित स्पष्ट आदेश पारित करेंगे जिसकी प्रति मुख्य अभियंता §जल-विद्युत§/संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

....

कारपोरेशन आदेश सं0. 2057-अरा0-09[illegible]/पाकालि/20[illegible]1-21-एनजी/2001 दि0. 20 जन, 2001

लिपिकीय एंव परिचालकीय [illegible] के कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त।

अनुलग्नक-2

1. तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के लिपिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

(1) संवेदनशील कर्मचारियों की सीट 3 वर्ष के अन्तराल पर बदल दी जायेगी तथा अन्य मामलों में यह अवधि 5 वर्ष होगी।

(2) एक कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एक कर्मचारी की कुल अवधि अधिकतम 15 वर्ष होगी।

(3) स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा ही किये जायेगें।

(4) यदि एक ही स्थान पर एक से अधिक कर्मचारियों का सेवाकाल समान है तो कम उम्र का कर्मचारी स्थानान्तरण का पात्र होगा।

(5) प्रशासनिक स्थानान्तरण परिषदीय आदेश सं0. 5238 दिनांक 15. 12. 93 के अनुसार किये जायेगें।

(6) उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यता न किया जाये जिनकी सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष से कम अवधि शेष बची है।

(7) जहाँ पर पति-पत्नी दोनों ही कारपोरेशन/सरकारी सेवा में सेवारत हैं वहाँ दोनों को यथासम्भव एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(8) सामान्यतः सभी श्रेणीयों में 10 प्रतिशत तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रत्येक वर्ष किये जायेगें।

(9) किसी क्षेत्र/संगठन में सरप्लस कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जायेगा और इसके लिए कोई न्यूनतम सीमावधि लागू नहीं होगी।

(10) संदिग्ध सत्यनिष्ठा के कर्मचारियों की तैनाती संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

(11) दो या अधिक लघु दण्ड अथवा निन्दा प्रविष्टि या एक वृहद दण्ड पाने वाले कर्मचारियों को वितरण स्कन्ध में संवेदनशील पदों पर कम से कम तीन वर्षों तक तैनाती नहीं किया जायेगा।

(12) किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर एंव दूसरे कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकता है बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(13) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती प्राधिकृत पावर कारपोरेशन/सरकारी चिकित्सक के प्रमाणपत्र प्राप्त कर उनके विकल्प के अनुसार ऐसे स्थानों पर करने का प्रयास किया जायेगा जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।

(14) निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(15) सभी स्तरों पर साधारणतयः स्थानान्तरण आदेश यथासम्भव 15 जून तक निर्गत हो जाने चाहिए।

अनुरूप अथवा किसी पद पर उपयुक्तता को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में कारपोरेशन के कार्यहित में स्थानान्तरण कभी भी सिद्धान्तों से हटकर निर्गत किये जा सकते हैं जिन पर उपरोक्त वर्णित समय-सीमा लागू नहीं होगी।

(17) नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर कर्मचारी को कार्यमुक्त कराने एंव कार्यभार स्थानान्तरित कराने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश पारित करेगें जिसकी प्रति सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को भी भेजना सुनिश्चित करेगें।

(18) बिल लिपिक(कार्यालय सहायक-श्रेणी-3) के संबंध में परिषदीय आदेश सं0. 1339-अर्0-09(अ)/राविप/99-21-एनजी/95 दिनांक 17.5.99 में निहित प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

2. <u>तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय वर्ग कर्मचारियों के सम्बन्ध में।</u>

(1) परिचालकीय वर्ग के वह सभी कर्मचारी जिनकी सेवा एक ही स्थान पर पाँच अथवा सात वर्ष(5 वर्ष संवेदनशील/राजस्व कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए तथा सात वर्ष साधारणतय:)या अधिक हो चुकी हो, स्थानान्तरण के पात्र होगे। सामान्यतय: अधिक समय से कार्यरत कर्मचारी का स्थानान्तरण पहले किया जाना चाहिए परन्तु यह बाध्यता नही होगी।

(2) स्थानान्तरण के लिए कार्यकाल की गणना हेतु प्रत्येक वर्ष में एक जुलाई की तिथि मान्य होगी।

(3) तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण यथा-सम्भव उनके गृह जनपद अथवा खण्ड में ही किये जाये लेकिन उन्हें उस उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा जिसमें कि उनका गृह स्थान स्थित है।

(4) यदि कोई कर्मचारी गृह जनपद से बाहर तैनात है तो उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान से कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थानान्तरण किया जाय।

(5) तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के लिपिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त के बिन्दु सं0. "4", "5", "6", "7", "8", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", एंव "17" तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय वर्ग कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी यथावत लागू होगें।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन-14-अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

सं०:1339-अरा०-09(अ)/रा विप/99-21-एनजी/95 दिनांक: 17 मई, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति/मार्गदर्शक सिद्धान्त समय-समय पर जारी किए जाते रहें है वर्ग-3 व वर्ग-4 के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी विस्तृत आदेश पत्रांक: 1773-एनजी/एस०ई०बी०-4-80-1-एनजी/79, दिनांक:31 मार्च, 1980 द्वारा निर्गत हुए थे, जो अभी भी प्रभावी हैं तथा इनमें कोई संशोधन/आशोधन भी नहीं किया गया है अत: इनका नैष्ठिक अनुपालन/क्रियान्वयन क्षेत्रीय अधिकारियोंका दायित्व है ।

तथापि वर्ष 1999 हेतु एतद्द्वारा विशेष रूप से यह आदेश किए जाते है कि:-

1. प्रत्येक विद्युत वितरण खंड में कार्यरत बिल क्लर्कस (कार्यालय सहायक श्रेणी-3) के कम से कम 15 प्रतिशत कार्यालय सहायक-श्रेणी-3 (बिल क्लर्कस) को पद विशेष पर उनकी वरिष्ठता (टेन्योर सीनियारिटी) के आधार पर अन्य खंडो में स्थानान्तरित किया जाय ।
2. खंड/मंडल कार्यालयों में कार्यरत कार्यालय सहायकों (श्रेणी-2) के कम से कम 15 प्रतिशत को उस खंड/मंडल में तैनाती अवधि की वरिष्ठतानुसार (टेन्योर सिनियारिटी) अन्य खंड/मंडल में स्थानान्तरित किया जाये ।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश इस परिषदादेश की तिथि से विलम्बतम 10 दिनों के अन्दर निर्गत कर सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार निर्गत आदेशों का क्रियान्वयन 15 जून 1999 तक पूर्ण हो जाय ।

सभी अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किए जाने वाले स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन व क्रियान्वयन भी 15 जून, 1999 तक पूर्ण हो जाय ।

उक्त परिषदीय आदेशों के क्रियान्वयन में शिथिलता अथवा उदासीनता के प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी विशेष के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही परिषद की बाध्यता होगी ।

प्रति लिपि
सुनील

अध्यक्ष

कार्यालय मुख्य अभियन्ता [illegible]
उ0प्र0 [illegible]
[illegible]

संख्या: 150-बी-अनु0-6/वि0स्था0/99 दिनांक [illegible], 1999

विषय: लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत [illegible] किए जाने के सम्बन्ध में ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के
समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त महाप्रबन्धक
समस्त अधीक्षण अभियन्ता
==================

उपरोक्त विषयकमामले के सम्बन्ध में परिषदीय ज्ञापन सं0:1339-अरा-99 ॥अ॥ रा विभ/99-21-एनजी/79, दिनांक:17.5.99 ॥प्रतिलिपि संलग्न॥ तथा इस कार्यालय के पत्र सं0:1163-अनु0-6/स्था0नीति, दिनांक:5.5.99 का अवलोकन करें जो कि आपको सम्बोधित है जिनके द्वारा वर्ष 1999 हेतु एतद्द्वारा विशेष रूप से निम्न आदेश दिए गये थे:-

1. प्रत्येक विद्युत वितरण खंड में कार्यरत बिल क्लर्कों ॥कार्यालय सहायक श्रेणी-3॥ के कम से कम 15 प्रतिशत कार्यालय सहायक श्रेणी-3 को पद विशेष पर उनकी वरिष्ठता ॥टेन्योर सीनियारिटी॥ के आधार पर अन्य खंडों में स्थानान्तरित किया जाए ।
2. खंड/मंडल कार्यालयों में कार्यरत कार्यालय सहायकों ॥श्रेणी-2॥ के कम से कम 15 प्रतिशत को उस खंड/मंडल में तैनाती अवधि की वरिष्ठतानुसार ॥टेन्योर सिनियारिटी॥ अन्य खंड/मंडल में स्थानान्तरित किया जाए।

उपरोक्त आदेशों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन दिनांक: 15.6.99 तक पूर्णकरके सूचना संकलित रूप में परिषद/इस कार्यालय को तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है ।

अत: इस सम्बन्ध में पुन: अनुस्मारित करना है कि अध्यक्ष महोदय की अपेक्षानुसार उक्त कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यान्वित करायें तथा खंडवार/मंडलवार आख्या तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे कि परिषद को अवगत कराया जा सके ।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझें तथा अनुपालन में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे एवं उनके विरुद्ध परिषद स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।
====================

संलग्नक: यथापरोक्त ।

[signature]
॥एस0पी0 पाण्डेय॥
मुख्य अभियन्ता ॥जल-विद्युत॥
==================

संख्या: 150-बी-अनु0-6/तद् दिनांक 29.5.99

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कार्यालय के पत्र सं0:1163-अनु0-6/स्था0नीति, दिनांक:5.5.99 की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।

संलग्नक: यथापरोक्त ।

[signature]
॥एस0पी0 पाण्डेय॥
मुख्य अभियन्ता ॥जल-विद्युत॥
==================